

मालय अधीक्षक रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर म.प्र

पता मालगोदाम चौक के पास साउथ सिविल लाईन जबलपुर
फोन नं 0761-2625622 web site elginhospital.com ई मेल elginhospitaljbp@gmail.com



फ/आर.के.एस/2022/ 194

सीमित निविदा की सूचना

जबलपुर, दिनांक
20.4.22

विषय:- चिकित्सालय में संचालित CCTV के रख रखाव के अनुबंध की सीमित निविदा को वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

—00—

चिकित्सालय में स्थापित CCTV के रख रखाव के लिये सीमित निविदायें आमंत्रित की जा रही है। कृपया निविदा बंद लिफाफे में 07 दिवस के अंदर उपलब्ध करावे।

—00—

परिशिष्ट - अ

S.No.	Description	Details (Write details against each information)
1	Name of the firm	
2	Address of the firm	
3	Contact Details of the firm	
4	Pan Number with proofs Attached	
5	Registration in Jabalpur Madhya Pradesh Shops & Establishment	
6	GST Registration No with copy of certificate attached	
7	Experience Certificate in respect of requirement atleast 1 years with proofs attached (Pervious Firm who work in hospital get first priority)	
8	Firm Income tax return of last three years financial years with proofs attached	

कार्यालय अधीक्षक रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर म.प्र पता मालगोदाम चौक के पास साउथ सिविल लाईन जबलपुर में Cooler को Reinstallation एवं रख रखाव के लिये अल्पकालीन सीमित निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

परिशिष्ट - ब (अ)

कैमरे के रख रखाव की दरें

क	नाम	संख्या	दर प्रति नग	रखरखाव की राशि (रूपये)
1	CCTV Surveillance	39		
2	DVR 16 Channel	3		
			जी.एस.टी	
			कुल योग	

नोट टेक्स शासन द्वारा निर्धारित रहेगा।

परिशिष्ट - ब (ब)

कैमरे एवं रख रखाव में लगने वाली समग्री की दरें

क	समाग्री का नाम	संख्या	दर प्रति नग	रखरखाव की राशि (रूपये)
1				
2				
			जी.एस.टी	
			कुल योग	

नोट टेक्स शासन द्वारा निर्धारित रहेगा।


अधीक्षक
रानी दुर्गावती चिकित्सालय
जबलपुर

सीमित निविदा की सामान्य शर्तें


1. म स्थापित सी.सी.टी.वी के रख रखाव का अनुबंधित रखने के लिये समिति निविदाये आमंत्रित की जा रही है। निविदा में पहला लिफाफा अ जिसमें निविदा से संबंधित समस्त तकनीकी दस्तावेजों की अभिप्रमाणि प्रतिलिपियाँ लगायी जायेंगी। द्वितीय लिफाफा ब में निविदा से संबंधित वित्तीय निविदा की परिशिष्ट- एक सुपाठय शब्दों में भरकर भेजा जाना होगा। वित्तीय निविदा में किसी भी प्रकारक काटापीटी, ओवर राईटिंग अथवा अस्पष्ट अंक स्वीकार नहीं होंगे। इन दोनों लिफाफों को सीख बंद कर एव तीसरे लिफाफे पर लिफाफे का नाम एवं निविदाकार का नाम एवं निविदाकार का नाम एवं विवरण अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
2. निविदा खोली जाने पर सर्वप्रथम समस्त निविदाकारों के तकनीकी दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा तकनीकी समिति की संतुष्टि उपरांत ही संबंधित फर्म की फॉयनेंशियल बिड खोली जायेगी। तकनीकी दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी अथवा त्रुटि पाये जाने पर संबंधित फर्म की निविदा अमान्य कर वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।
3. शब्दों एवं अंकों में लिखी दरों में अंतर होने पर शब्दों में लिखी हुई दरों को मान्य किया जावेगा।
4. किसी भी निविदा को स्वीकृत पूर्व या पश्चात अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार अधीक्षक रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
5. सी.सी.टी.वी खराब होने की सूचना मिलने पर 24 घंटे के अंदर शिकायत का निराकरण करना आवश्यक होगा। निराकरण 24 घंटे में नहीं होने क स्थिति में रूपये 150/- प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगाई जा सकती है।
6. परिशिष्ट-एक में उल्लेखित वार्षिक रखरखाव के कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक होने के स्थिति में रख रखाव की राशि का भुगतान रह तीसरी तिमाही पूर्ण होने पर किया जावेगा और रख-रखाव हेतु कोई भी अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
7. अनुबंध के अनुरूप रख रखाव न करने और कोलरों को किसी भी तरह की हानि होती है तो हानि का प्राक्कलन कर हानि की राशि देयक की राशि से कांटी जावेगी।
8. संस्था का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध की अवधि समान शर्तों एवं दरों पर अधिकतम 6 माह या नवीन समिति निविदा जो पहले होने तक के लिए आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
9. निविदादाता को समस्त कार्य उच्च गुणवत्ता एवं संबंधित कार्य के लिये निर्धारित माप दण्डों के अनुसार करना आवश्यक है। कार्य आदेश जारी किये जाने और कार्य संपादन के दौरान यदि किसी स्तर पर यह प्रतीत होता है कि निर्धारित गुणवत्ता एवं मापदण्डों के स्तर में किसी प्रकार का समझौता किया गया है तो कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा तथा निविदादाता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात की जाएगी।
10. निविदा न्यूनतम प्रभावित दर पर स्वीकृत की जायेगी।
11. बजट की उपलब्धता के अनुसार बिलों का भुगतान किया जावेगा।
12. समिति निविदा की समयावधि को आवश्यकतानुसार धताया या बढ़ाया जा सकेगा।
13. किसी भी विवाद कि स्थिति में अधीक्षक रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर का निर्णय अंतिम होगा जो निविदाकार को बंधनकारी होगा।
14. कार्य का विवरण
 - अनुबंध होने पर समस्त सी.सी.टी.वी एवं डी वी आर को चालू रखना होगा।
 - सी.सी.टी.वी की Recording प्रत्येक माह के 1 से 5 तारीक के बीज में Computer में सुरक्षित करनी होगी।
 - निविदा अवधि में यदि सी.सी.टी.वी कैमरे एक स्थान से अन्य स्थान पर शिफ्ट होता है तो शिफ्टिंग और रि-इन्सटॉलेशन का पृथक स कांडे भुगतान नहीं किया जावेगा।

पृ क्रमांक/आर.के.एस/2022/

1 राकेश साहू डी.ई.ओ स्थानीय चिकित्सालय की ओर लेख है कि निविदा सुचना चिकित्सालय की वेब साइट पर अपलोड करें।


अधीक्षक
रानी दुर्गावती चिकित्सालय
जबलपुर

जबलपुर, दिनांक


अधीक्षक
रानी दुर्गावती चिकित्सालय
जबलपुर